

भारत सरकार  
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 3531  
11.08.2025 को उत्तर के लिए

महान भारतीय सारंग पक्षी के संरक्षण के लिए प्रजनन संबंधी प्रयास

3531. श्री दुष्यंत सिंहः

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सरकार द्वारा विशेषकर राजस्थान में महान भारतीय सारंग पक्षी के संरक्षण और सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-1 में इसके सूचीबद्ध होने से शिकार से इसके संरक्षण में किस प्रकार योगदान मिला है;
- (ख) क्या सरकार ने महान भारतीय सारंग पक्षी के महत्वपूर्ण पर्यावासों को चिह्नित किया है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;
- (घ) प्रजातियों के संरक्षण के प्रयासों में राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों की क्या भूमिका है और इस पहल में केन्द्र प्रायोजित-योजना वन्यजीव पर्यावासों का विकास के अंतर्गत "प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम" किस प्रकार सहायक है;
- (ङ) इस संबंध में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के वन विभागों और भारतीय वन्यजीव संस्थान के बीच सहयोग और महान भारतीय सारंग पक्षी के संरक्षण के लिए किए गए संरक्षण प्रजनन प्रयासों का व्यौरा क्या है; और
- (च) उक्त प्रजनन कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त परिणामों का व्यौरा क्या है और एक विशेष क्षेत्र में सीमित महान भारतीय सारंग की जनसंख्या में वृद्धि करने के लिए उक्त कार्यक्रम के लक्ष्य क्या हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री  
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

- (क) से (च) वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 राज्य सरकारों और संघ राज्य-क्षेत्रों प्रशासन को वन्य जीव या उसके पर्यावरण के संरक्षण, विस्तार या विकास के उद्देश्य से राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों की घोषणा करने का अधिकार देता है। अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि मुख्य वन्य जीव संरक्षक सभी अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों का प्रबंधन और संरक्षण प्रबंधन योजना के अनुसार करेंगे और अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय करेंगे।

केंद्र प्रायोजित योजना 'वन्यजीव पर्यावासों का विकास' के प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम घटक के अंतर्गत, राज्य सरकारों और संघ राज्य-क्षेत्रों प्रशासन को चिन्हित प्रजातियों के विशिष्ट संरक्षण के उद्देश्य से कार्यकलापों हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड उन 24 प्रजातियों में से एक विशिष्ट है जिनकी पहचान संरक्षण कार्यों के लिए की गई है।

अन्य राज्यों सहित राजस्थान राज्य में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदम इस प्रकार हैं:

- i. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) को वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I में सूचीबद्ध किया गया है, जिससे इसे शिकार से बचाने के लिए सर्वोच्च कानूनी सुरक्षा प्राप्त है। अधिनियम की धारा 9 में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति अनुसूची I में निर्दिष्ट किसी भी वन्य जीव का शिकार नहीं करेगा।
- ii. संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण पर्यावास जैसे राजस्थान के मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। इसी प्रकार, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों में भी संरक्षित क्षेत्र घोषित किए गए हैं।
- iii. भारत सरकार ने 2016 में बस्टर्ड रिकवरी कार्यक्रम "ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के पर्यावास सुधार और प्रजनन संरक्षण" की शुरुआत की थी, जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) और लेसर फ्लोरिकन के लिए प्रजनन संरक्षण और स्व-स्थाने अनुसंधान-निर्देशित संरक्षण की एक पहल है, जिसे राजस्थान वन विभाग के सहयोग से कार्यान्वित किया जा रहा है।
- iv. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) का प्रजनन संरक्षण वन विभागों और भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून के तकनीकी सहयोग से किया गया है, जिसका उद्देश्य प्रजातियों के स्व-स्थाने संरक्षण को बढ़ावा देने और जंगल में छोड़ने के लिए केन्द्र में पाली गई आबादी को विकसित करना है।
- v. राजस्थान के जैसलमेर जिले के सम (2019) और रामदेवरा (2022) में दो संरक्षण प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए हैं, जो कार्यरत हैं। इस कार्यक्रम में कृत्रिम अंडे सेने, चूजा पालन, बस्टर्ड पालन और कैपटिव प्रजनन की तकनीकें विकसित की गई हैं। इस कार्यक्रम के तहत पहली बार कैपटिव प्रजनन में जीआईबी का सफलतापूर्वक प्रजनन किया गया है।

\*\*\*\*